न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अजय शर्मा (DJ Cadre)

जमानत आवेदन / C.I.S प्र. सं. : 349 / 2026

F.I.R. सं. : 02 / 2026

अन्तर्गत धारा : **318(4), 319(2) BNS, 66D IT ACT**

पुलिस थाना : साईबर सिरोही

कुंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय भीखसिंह उम्र 26 वर्ष निवासी अजारी पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही

——प्रार्थी / अभियुक्त

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य **——अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थिति :
1. श्री प्रमोद रावल, अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त
2. श्री सुरेश वैष्णव, लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक : 01.07.2026

1. **प्रार्थी / अभियुक्त कुंवरसिंह** की ओर से धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत **प्रथम जमानत** का यह प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नकल जमानत प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक को दिलायी गई। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गई।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त का यह तर्क है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी / अभियुक्त ने परिवादी के साथ कोई धोखा कारित नहीं किया है। प्रार्थी / अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है, प्रार्थी / अभियुक्त को गलत रूप से प्रकरण में संलिप्त किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त 29.05.2026 से अभिरक्षा में है तथा अभी अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी / अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

3. योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

4. उपरोक्त पर विचार किया एवं केसडायरी का अवलोकन किया।

5. केसडायरी के अनुसार महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1900 दिनांक 27.03.2026 एवं पुलिस अधीक्षक जिला सिरोही के पत्रांकः साइबर / 2026 / 509–13 दिनांक 03.04.2026 की पालना

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
03.07.2026 19:42
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु संदिग्ध बैक खातों (mule accounts) एवं प्रतिबिम्ब पोर्टल हॉटस्पॉट, चैक विड्रॉल हॉटस्पॉट, एटीएम विड्रॉल हॉटस्पॉट एवं संदिग्ध बैंक ब्रान्च हॉटस्पॉट के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 01.04.2026 से 30.04.2026 तक एक विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर का संचालन किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त संदिग्ध सूचियों में से संदिग्ध म्यूल खाता सं. 753102010003958 यूनियन बैंक इंडिया, आईएफएससी कोड को UBIN0575313 का खाताधारक पेपाराम पुत्र जीवाराम के म्यूल खाता संबंधी जांच मन पारस कुमार हैड कानि. 192 साइबर पुलिस थाना सिरोही को सुपुर्द की थी। आईएफएससी कोड के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उक्त ब्रान्च सिरोही मुख्यालय पर होने से मन हैड कानि. द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिरोही से उक्त म्यूल खाते से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर खाताधारक से संबंधित सूचना प्राप्त कर उसके दिये गये पते पर जाकर मालूमात किया गया तो पता सही पाया गया मगर खाताधारक घर पर नहीं मिला। खाताधारक पेपाराम के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो अधिकांश बाहर ही रहना बताया जिस पर पेपाराम के खाता सं. 753102010003958 के संबंध में दर्ज साइबर शिकायत के संबंध में सम्पर्क पोर्टल पर चैक किया गया तो उक्त खाता पर तीन शिकायत दर्ज होना पाया गया जिसके एक्नोलेजमेन्ट सं. 30511250081803, 31911250224976 तथा 32911250076902 है जो क्रमश बिहार, महाराष्ट्र व तमिलनाडू राज्यों में दर्ज है। तीनों शिकायतों का अवलोकन किया गया तो एक्नोलेजमेन्ट सं. 30511250081803 के अनुसार दिनांक 20.11.2025 को अप्रार्थी पेपाराम के खाता सं. 753102010003958 में जरिये ट्राजेक्शन आईडी 060186754877 द्वारा 58,000/– क्रेडिट हुए है जिसमें डिस्प्युटेड अमाउण्ट भी 58,000/– है। शिकायत का परिवादी संजिव रंजन पुत्र मनी कुमारी जिसके मोबाईल नम्बर 8986462466 है जिसमें अप्रार्थीगण ने टेलीग्राम एप पर परिवादी से सम्पर्क कर पार्ट टाईम जोब के नाम पर अलग अलग टास्क देकर पहले कुछ लालच देकर अलग–अलग राशि जमा करवाकर कुल 84,000/– की धोखाधडी की है। उक्त धोखाधडी राशि अप्रार्थी के खाते में प्रथम लेयर से क्रेडिट हुई है। एक्नोलेजमेन्ट सं. 31911250224976 के अनुसार दिनांक 17.11.2025 को अप्रार्थी पेपाराम के खाता सं. 753102010003958 में जरिये ट्राजेक्शन आईडी 861485574679 द्वारा 1,00,000/– क्रेडिट हुए है जिसमें डिस्प्युटेड अमाउण्ट भी 1,00,000/– है। शिकायत का परिवादी नामदेव पुत्र सुभाष चौधरी जिसके मोबाईल

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
03.07.2026 19:42
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

नम्बर 9730452224 है जिसमें अप्रार्थीगण ने परिवादी को वॉटस एप पर लिंक भेजकर रूपये निवेश के नाम पर कुल 3,99,640/– की धोखाधडी की है। एक्नोलेजमेन्ट सं. 32911250076902 के अनुसार दिनांक 15.11.2025 को अप्रार्थी पेपाराम के खाता सं. 753102010003958 में जरिये ट्राजेक्शन आईडी 331469202828 द्वारा 15,000/– क्रेडिट हुए है। शिकायत का परिवादी आनन्द एस पुत्र श्री सन्थानम निवासी पोन्नीअम्मानमेड चेन्नई, तमिलनाडु जिसके मोबाईल नम्बर 9940122865 है जिसमें अप्रार्थीगण ने परिवादी के साथ इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर कुल 18,21,840/–रूपये की धोखाधडी की है। पेपाराम के खाते के स्टेटमेन्ट का अवलोकन किया गया तो दिनांक 15.11.2025 से 20.11.2025 तक अलग अलग ट्राजेक्शन के जरिये कुल 7,67,010/– राशि पेपाराम के खाते में क्रेडिट हुई है। इस प्रकार उक्त शख्स पेपाराम पुत्र जीवाराम द्वारा अन्य अज्ञात अप्रार्थीगण के साथ मिलकर पार्ट टाईम जोब व निवेश का झांसा देकर छल करते हुए धोखाधडी पूर्वक अनजान लोगों के साथ इलेक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग करते हुए ठगी कर स्वयं के खाते में रूपये प्राप्त कर किये है.....इत्यादि।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा **318(4), 319(2) BNS, 66D IT ACT** का आरोप है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण पेपाराम व नमन का जमानत आवेदन पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिनसे प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का मामला भिन्न नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 861/2021 Khet Singh & Ors. Vs State आदेश दिनांक 25.01.2021** के प्रावधान लागू होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है :–

अभियुक्त कुंवरसिंह का आपराधिक रिकॉर्ड

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	पुलिस थाना	अन्तर्गत धारा	नतीजा अदालत
01.	374/2022	पिण्डवाडा	143, 323, 342, 147, 149, 426, 365/427 भा.दं.सं.	–
01	157/2026	पिण्डवाडा	319(2), 318(4) बी.एन.एस. व 66(डी) आईटी एक्ट	–

प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से अभिरक्षा में है तथा अभी अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
03.07.2026 19:42
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त कुंवरसिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. **स्वीकार किया जाकर** आदेश है कि यदि **प्रार्थी/अभियुक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही** के समाधानप्रद व संतोषप्रद उस न्यायालय/विचारण न्यायालय में नियत प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो मौतबीर जमानते एवं पचास हजार रुपए की राशि का बंध पत्र** प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दे तो प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर आजाद कर दिया जावे, बशर्ते उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो।

8. **इस आदेश की एक प्रति उपाधीक्षक जिला कारागृह सिरोही को अविलंब प्रेषित की जावे।**

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

9. आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
03.07.2026 19:42
Steno Gr. I
(Authenticated Document)